

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिये निम्नांकित राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक पार्ट- प्रथम में लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिये अतिरिक्त वर्ग की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है-

क्र.स.	राजकीय महाविद्यालय का नाम	संकाय	अतिरिक्त वर्गों की संख्या
1	राजकीय महाविद्यालय, शाहबाद (बारा)	कला	02
2	राजकीय महाविद्यालय, जहाजपुर (भीलवाड़ा)	कला	03
3	राजकीय महाविद्यालय, बस्सी (जयपुर)	कला	02
4	राजकीय महाविद्यालय, चाकसू (जयपुर)	कला	02
5	राजकीय महाविद्यालय, फागी (जयपुर)	कला	02
6	राजकीय महाविद्यालय, विराटनगर (जयपुर)	कला	03
7	राजकीय महाविद्यालय, जमवारामगढ़ (जयपुर)	कला	03
8	राजकीय महाविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)	कला	02
9	राजकीय महाविद्यालय, पाटन (सीकर)	कला	01
10	राजकीय महाविद्यालय, सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा)	कला	03
11	राजकीय महाविद्यालय, पीपलखूट (प्रतापगढ़)	कला	03
12	राजकीय कन्या महाविद्यालय, प्रतापगढ़	कला	03

उक्त स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि राज्य सरकार पर किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं आयेगा एवं इस हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी अतिरिक्त सह-आचार्य/सहायक आचार्य/अन्य पदों का सृजन भविष्य में नहीं किया जावेगा।

4. ✓

प्रदीप कुमार बोरड़
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं

विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ 4(16) आयो/आकाशि/वर्ग बढ़ाना/2017पार्ट/1307-1311 दिनांक 27 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदया राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, (अकादमिक/प्रशासन) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय।
9. प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय।
10. रक्षित पत्रावली।

दीपाली भार्गव

(डॉ. दीपाली भार्गव)
संयुक्त निदेशक(आयोजना),